न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

**पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस**

अपील संख्या 125/2013/225 आरटीए

1. फातमा बेवा हाजी मंजूर जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. ऐमना पुत्री हाजी मंजूर जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलान्ट

**–: बनाम :–**

1. सुल्तान पुत्र हाजी मंजूर जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. उस्मान पुत्र हाजी मंजूर जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. सुलेमान पुत्र हाजी मंजूर जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 23.12.12 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ प्र0सं0 19/07 अनवानी फातमा बनाम सुल्तान आदि

उपस्थित :–

श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री प्रद्युम्न सिंह परमार अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांक –18.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत करते हुये रेस्पोडेंट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा अनुतोष चाहा गया, जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 05.02.07 खारिज की जाकर प्रार्थना पत्र अपीलांट खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश गलत व विधि विरूद्ध है। स्व हाजी मंजूर ने अपने जीवनकाल मे दिनांक 09.12.2003 को एक वसीयत रेस्पो0 के पक्ष मे रजिस्टर्ड करवा दी थी उक्त विवादित वसीयत को हाजी मंजूर ने करवाते वक्त अपीलांट जो स्व. हाजी मंजूर के वारिसान है जिनकी बिना सहमति के रेस्पो0 के पक्ष मे करवा दी जिसमे स्व. हाजी मंजूर ने अपीलांट की कोई सहमति नही ली थी तथा ना ही उक्त वसीयत का अपीलांट को कभी ज्ञान था तथा स्व. हाजी मंजूर द्वारा करवाई गई विवादित वसीयत दिनांक 09.12.2003 जो एक तिहाई से अधिक भूमि की होने के कारण वसीयत हकूक वारिसान पर कतई निष्प्रभावी है जबकि मुताबिक मुस्लिम विधि बिना वारिसान की सहमति स्व. हाजी मंजूर एक तिहाई से अधिक भूमि की वसीयत कानूनन नही कर सकता था इसलिए हाजी मंजूर एक तिहाई से अधिक की वसीयत हकूक वारिसान निष्प्रभावी है जबकि विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों की तथा मुस्लिम विधि की अनदेखी कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो काबिले खारिज है। अपीलांट का विचारण न्यायालय मे दावा अभी

जैरकार है जिसमे अभी साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत होने शेष है जबकि दावा जैरकार होने के कारण विचारण न्यायालय ने दावा का पूर्ण अवलोकन किये बिना तथा मुस्लिम विधि की अनदेखी कर अपीलांट के पक्ष मे जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को खारिज फरमाया गया जबकि विचारण न्यायालय द्वारा दावा का अवलोकन कर मुस्लिम विधि अनुसार निर्णय पारित ना कर कानूनी भूल की है।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि हाजी मंजूर द्वारा दिनांक 09.12.2003 को एक पंजीबद्ध वसीयत रेस्पो0 के नाम करवाई है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह सिद्ध नही किया है कि प्रश्नगत आराजी पैतृक आराजी है या हाजी मंजूर को उसके पूर्वज से प्राप्त हुई है। इसलिए हाजी की यह आराजी स्वअर्जित मानी जावेगी जिसकी वसीयत करने हेतु हाजी मंजूर पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। इस वसीयत का अपीलांट को भली भांति ज्ञान था तथा वसीयत होने के उपरांत हाजीमंजूर के जीवनकाल व मृत्यु के बाद अन्य वारिसान द्वारा कोई विरोध नही किया गया बल्कि सदैव अपनी सहमति प्रकट की थी। अपीलांट का हाजी मंजूर की उक्त भूमि मे कोई हक व हिस्सा नही है। यदि अपीलांट को उक्त वसीयत से सहमत नही है तो उन्हे सिविल न्यायालय मे निरस्त कराने की कार्यवाही करनी चाहिए। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत कर इसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आरटीए पेश किया कि वादग्रस्त भूमि जो अपीलांट सं. 1 के पति व अपीलांट सं. 2 के पिता हाजी मंजूर के नाम दर्ज है। स्व. हाजी मंजूर ने अपने जीवनकाल मे दिनांक 09.12.2003 को एक वसीयत रेस्पो0 के पक्ष मे रजिस्टर्ड करवा दी थी उक्त विवादित वसीयत को हाजी मंजूर ने करवाते वक्त अपीलांट जो स्व. हाजी मंजूर के वारिसान है जिनकी बिना सहमति के रेस्पो0 के पक्ष मे करवा दी जिसमे स्व. हाजी मंजूर ने अपीलांट की कोई सहमति नही ली थी तथा ना ही उक्त वसीयत का अपीलांट को कभी ज्ञान था तथा स्व. हाजी मंजूर द्वारा करवाई गई विवादित वसीयत दिनांक 09.12.2003 जो एक तिहाई से अधिक भूमि की होने के कारण वसीयत हकूक वारिसान पर कतई निष्प्रभावी है जबकि मुताबिक मुस्लिम विधि बिना वारिसान की सहमति स्व. हाजी मंजूर एक तिहाई से अधिक भूमि की वसीयत कानूनन नही कर सकता था।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र के अन्तरिम आदेश मे वसीयत के संबंध नामान्तरण नही किये जाने बाबत पाबंद किया गया और अन्तिम आदेश मे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पैतृक सम्पति होने के संबंध मे दस्तावेज प्रस्तुत न होने का आधार लेकर वसीयत के आधार नामान्तरण दर्ज करवाने बाबत स्वतंत्र करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया जाकर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जबकि मुस्लिम विधि के सैक्शन 117 के प्रावधानो के अनुसार वसीयतकर्ता द्वारा उत्तराधिकारी के पक्ष मे की गई वसीयत मृत्यु के पश्चात अन्य उत्तराधिकारियों की सहमति पर ही वसीयत लागू होगी। हस्तगत प्रकरण मे प्रश्नगत वसीयत के संबंध मे अन्य वारिसान की सहमति नही है। मुस्लिम विधि के सैक्शन 118 के प्रावधानो के अनुसार वसीयतकर्ता अपने स्वामित्व की 1/3 से अधिक रकबे की वसीयत उत्तराधिकारी के पक्ष मे नही कर सकता। अगर वसीयतकर्ता 1/3 हिस्से से अधिक रकबे की वसीयत करता है तो वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात समस्त वसीयत के संबंध मे समस्त वारिसान की सहमति ली जानी आवश्यक है। बिना सहमति के वसीयत को लागू नही किया जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र मे निर्णय हिन्दू विधि के अनुसार पारित किया गया है जबकि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण मुस्लिम विधि के अनुसार किया जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिपूर्ण नही होने के कारण पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायोचित नही है।

7. उपरोक्त परिस्थितियों मे अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.12.2012 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए मुस्लिम विधि के प्रावधानो के अनुसार विधिवत प्रक्रिया अपनाते पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.02.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़